का.ज्ञा. सं. 4-2(12)/2020-डीडी-I

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

5वां तल, पं. दीन दयाल अंत्योदय भवन,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110003
दिनांक: 26.07.2023

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय: सहायक यंत्रों/सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता योजना (एडिप) – योजना के संपूर्ण नाम में संशोधन।**

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा प्रशासित सहायक यंत्रों/सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता योजना (एडिप) को दिनांक 01.04.2022 से संशोधित किया गया है।

2. एडिप योजना, 2022 का पूरा नाम निम्नानुसार था:

"Scheme of Assistance to Disabled persons for purchase / fitting of aids/ appliances"
"सहायक यंत्रों/सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए नि:शक्तजनों को सहायता योजना''

3. सक्षम प्राधिकारी ने दिव्यांगजनों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए एडिप योजना के नाम में "नि:शक्तजन" शब्द को "दिव्यांगजन" में बदलने का निर्णय लिया है। योजना का पूरा नाम निम्नानुसार होगा:

"Scheme of Assistance to Persons with Disabilities for purchase / fitting of aids/ appliances"
"सहायक यंत्रों/सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता योजना ''

4. तथापि, योजना का संक्षिप्त रूप "एडिप योजना" ही रहेगा।

5. सभी कार्यान्वयन एजेंसियां अपनी वेबसाइट/बैनर/किसी अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड में आवश्यक परिवर्तन करें। एडिप योजना की सभी कार्यान्वयन एजेंसियां कृपया तत्काल प्रभाव से इसे सूचनार्थ देखें और इसका अनुपालन करें।

(संदीप कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
ई-मेल आईडी:- sandeepkumar.rth@nic.in
दूरभाष सं.:-011-24369027

सेवा में,

1. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समाज कल्याण/सामाजिक न्याय विभाग के प्रधान सचिव/सचिव।
2. सभी कार्यान्वयन एजेंसियां।

प्रतिलिपि:

1. माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता के निजी सचिव
2. माननीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता के निजी सचिव
3. सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
4. संयुक्त सचिव (आरवाई) के प्रधान निजी सचिव।